# DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
## GOVT. OF NCT OF DELHI
1A, Pandit Ravi Shankar Shukla Lane,
K.G. Marg, New Delhi – 110001

**Sub: Applications are invited for two posts of Members for Delhi Commission for Protection of Child Rights, 5th Floor, ISBT Building, Kashmere Gate, Delhi- 110006 constituted u/s 17 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005.**

1. **Qualifications of Members:-**
   **(a)** Should be persons of eminence, ability, integrity, standing and experience in- **(i)** Education, **(ii)** Child health, care, welfare or child development, **(iii)** Juvenile Justice or Care of neglected or marginalized children or children with disabilities, **(iv)** Elimination of Child Labour or children in distress, **(v)** Child Psychology or sociology and **(vi)** Laws relating to children.
   **(b)** A person to be selected as a Member of the Commission shall have at least five years experience in Social Sector like Education, Health, Social welfare.

2. **Following important points may be noted:**
   a) No person having any past record of violation of human rights or child rights shall be eligible for appointment as Members.
   b) Every Member shall hold office, as such, for a term of three years from the date on which he/she assumes office provided that no Member shall hold office as such after he/she has attained the age of 60 years.
   c) The Member may by writing under his hand addressed to the Government, resign his office at any time.
   d) In case of retired government servants, the pay will be fixed in accordance with the prevailing orders i.e. last pay drawn minus pension. In case of public figures, the amount will be Rs. 20,000/- p.m. consolidated for each Member.
   e) There is no provision for hiring/allotment of a house or of House Rent Allowance.
   f) The Member will be entitled to fixed monthly car allowance of Rs. 9,500/- per month for use and maintenance of his/her personal car for transportation between residence and office.
   g) The clause for removal from office and other relevant details may kindly be seen in the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 and the Delhi Commission for Protection of Child Rights Rules, 2008.

3. **Procedure for applying:**

Interested persons may submit their application in the following proforma specifying experience and its duration in chronological order along with supportive documents to the Director, Department of Women & Child Development, Government of NCT of Delhi at **1A, Pandit Ravi Shankar Shukla Lane, K.G. Marg, New Delh110001** so as to reach latest by 5.00 pm on **01 August 2017.**

| Name and Address | Age | Details of Educational Qualifications | Details of Professional Experiences | Details of Administrative work |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Photo

a) Have you earlier worked as Chairperson/ Member of any Committee/ Commission (details thereof) ____________.

b) Are you running any Children Home/ Shelter Home/ Adoption Agency for children (please give details thereof) ____________.

c) Any previous conviction record, details thereof ____________.

The Times of INDIA, Page no 9, Date 18.7.17

DIP/Shabdarth/1165/17-18

Sd/-
Director,
Department of Women & Child Development

# महिला एवं बाल विकास विभाग,

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
## 1-ए, पंडित रविशंकर शुक्ला लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
## नई दिल्ली-110001

**विषय :** बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17 के अंतर्गत गठित दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 5वां तल आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 में दो सदस्यों के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

**1. सदस्यों की योग्यता :-**

(क) एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, योग्य, सत्यनिष्ठ और निम्न क्षेत्रों में अनुभव रखता हो :- (1) शिक्षा (2) बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण या बाल विकास (3) किशोर न्याय या उपेक्षित या परित्यक्त बच्चों या दिव्यांग बच्चों की देखभाल (4) बाल श्रम निराकरण या संकटग्रस्त बच्चों के साथ कार्य का अनुभव (5) बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र और (6) बच्चों से संबंधित कानून।

(ख) सदस्यों के चयन के लिए योग्यता कम से कम 5 साल का समाज क्षेत्र में अनुभव होना अनिवार्य है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण।

**2. निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दिया जाए:**

(क) मानव अधिकार अथवा बाल अधिकार के उल्लंघन के पिछले रिकॉर्ड वाला कोई भी व्यक्ति, सदस्य के पद हेतु पात्र नहीं होगा।

(ख) सदस्य का कार्यकाल पद भार संभालने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, बशर्ते सदस्य 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हो।

(ग) सदस्य किसी भी समय सरकार को लिखित में अपना त्याग पत्र दे सकते हैं।

(घ) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के मामले में, वेतन का निर्धारण प्रचलित आदेशों के अनुसार यानी अंतिम आहरित वेतन में पेंशन घटाकर किया जाएगा। सार्वजनिक व्यक्ति के मामले में, सदस्य के लिए समेकित राशि रु. 20,000/- होगी।

(ङ) मकान किराए पर लेने/आवंटन या मकान किराया भत्ते का कोई प्रावधान नहीं है।

(च) सदस्य अपने आवास से कार्यालय तक आवागमन के लिए अपनी निजी कार के उपयोग तथा रखरखाव के लिए प्रति माह रु. 9,500/- के नियत मासिक कार भत्ते के हकदार होंगे।

(छ) कार्यालय से हटाने की धारा तथा अन्य संगत विवरण बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 एवं दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2008 में देखें जा सकते हैं।

**3. आवेदन हेतु प्रक्रिया:**

इच्छुक व्यक्ति सहायक दस्तावेजों सहित अनुभव और इसकी अवधि का उल्लेख करते हुए कालानुक्रमिक क्रम में निम्न प्रोफार्मा में अपने आवेदन निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 1 ए, पंडित रविशंकर शुक्ल लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 पर इस प्रकार भेजें कि वे अधिकतम 01 अगस्त, 2017 को सायं 5.00 बजे तक कार्यालय पहुंच जाएं।

फोटो

| नाम एवं पता | आयु | शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण | व्यावसायिक अुभवों का विवरण | प्रशासनिक कार्यों का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

क) क्या आपने पहले किसी समिति/आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में कार्य किया है (उसका विवरण)..............................

ख) क्या आप कोई चिल्ड्रन होम/शेल्टर होम/बच्चों की एडॉपशन एजेंसी चला रहे हैं (कृपया उसका विवरण दें)..........................

ग) कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड, उसका विवरण..........................................................................

नव भारत टाइम्स, पेज नं 8, दिनांक 18.7.17

हस्ता./-
निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग

DIP/Shabdarth/1165/17-18